अध्याय 1

प्रस्तावना एवं सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

1.1 भूमिका

विश्व के लगभग सभी भागों में अनुसूचित जाति, जनजाति पाई जाती है। भारत में इनकी आबादी अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा है। भारत की सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के आधार पर बँटी हुई है। यहाँ हमेशा से उच्च वर्ण व्यवस्था के लोग निम्न वर्ण व्यवस्था के लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं। निम्न वर्ण व्यवस्था जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोग आते हैं उनके अधिकारों का हनन उच्च वर्गों के लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। मानवाधिकारों के हनन की समस्या दुनिया के सभी समाजों में ऐतिहासिक एवं सार्वभौमिक रूप से पाई जाती रही है। भारतीय समाज यहाँ कोई अपवाद प्रस्तुत नहीं करता है। भारत में जिस प्रकार की वर्ण व्यवस्था है उसमें सामाजिक विसंगतियां बहुल मात्र में व्याप्त है। यहाँ भी मानवाधिकारों का उल्लंघन पाया जाता रहा है, जिसमें यहाँ की सामाजिक व्यवस्था का महत्तवपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय समाज के संदर्भ में यह तार्किक एवं निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक काल से ही कुछ सामाजिक वर्ग एवं संप्रदाय मानवाधिकारों के हनन के ज्यादा शिकार रहे हैं या वर्तमान समय में इस समस्या से बुरी तरह प्रभावित हैं। ऐसा ही एक सामाजिक वर्ग है दलित, जिसके मानवाधिकारों का उल्लंघन प्राग-ऐतिहासिक काल से निरंतर जारी है। मानवाधिकारों के हनन के मामले सामाजिक रूप से तो है ही, आर्थिक कारणों से भी बहुत सारे हैं। ईंट भट्टी से लेकर घर तक, न्यूनतम मजदूरी के सवाल से लेकर समाज में रहने तक, पानी से लेकर पाठशाला में बैठने तक, अपने घर में शादी के मौके पर गाजे-बाजे तक जैसे कई उदहारण हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि आज भी दलितों को सामाजिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। समाज में व्याप्त इन समस्याओं को खत्म करने के लिए देश में 1989 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में समाज के दबे-कुचले वर्गों को समान अधिकार दिलाने की बात कही गई। इस अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जिसमें हर वर्ग के लोगों को शैक्षणिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक बराबरी का अधिकार मिल सके। दलित समाज को यदि हम स्त्री एवं पुरुष वर्गों में बाँटकर देखें तो यह पता चलेगा कि दलित महिलाएँ सामाजिक स्तर में सबसे निचले पायदान पर आती हैं। इस प्रकार दलित महिलाएँ ना केवल अन्य महिलाओं से दयनीय एवं विषम परिस्थितियों का सामना करती हैं (उच्च जातिओं के महिलाओं की

अपेक्षा), बल्कि दलित वर्ग में भी स्त्री-पुरुष वर्गीकरण एवं पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण उनकी स्थिति और भी कमजोर और संवेदनशील है।

भारतीय द्वीप दो भागों में बँटता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एक बहुसंख्य सत्ता के समीप नजर आता है और दूसरा अल्पसंख्य इनके दमन का शिकार बनता जा रहा है। इतिहास में, भारत में हम देखते हैं कि शोषण की लम्बी प्रक्रिया रही है। भारत में जाति प्रणाली के कारण व्यक्ति का विकास तथा उसके व्यक्तित्व का विकास पूर्ण रूप से निर्बंधित हो गया था। इससे ना केवल सामाजिक गतिशीलता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी बल्कि राष्ट्रीय एकता व अखंडता जो इसकी सीमाओं को संरक्षित करने में असहयोगी हुई और बुरी तरह से प्रभावित हुई, जब तक जाति पर आधारित ऐसा सुदृढ़ सोपान बदलते हुए समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, तब तक ऐसी जाति के सोपनीय व्यवहारों से अद्भुत विरोध निश्चित रूप से भारतीय समाज तथा इसकी प्रगति, राष्ट्र के विकास, एकता और अखंडता को क्षति पहुँचाना जारी रखेगा।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो

साल 2015 के मुकाबले 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बढ़ोतरी हुई है। 2015 में 3,29,243 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2016 में यह बढ़ाकर 3,38,947 हो गए। मौजूदा सरकार में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अत्याचार और अपराध के मामले में पीछले साल बढ़ोतरी हुई। साल 2016 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार और अपराध की संख्या 5.5% बढ़कर 40,801 हो गई, जबकि 2015 में इसकी संख्या 38,670 थी। वहीं अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध के मामलों में 4.7% की बढ़ोत्तरी आई है। साल 2015 (6,276) के मुकाबले यह बढ़कर 2016 में 6,568 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक कुल दर्ज 48,31,515 अपराधों में भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) के तहत 29,75,711 मामले और विशेष एवं स्थानीय कानूनों के तहत 18,55,804 मामले साल 2016 में दर्ज किए गए, जो कि साल 2015 के मुकाबले कुल अपराधों का 2.6% ज्यादा है।

नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 2015 की रिपोर्ट के अनुसार दलित पर हुए कुल अपराधों की संख्या 45,003 थी। यह संख्या खण्ड को 39,408 और 2014 में 47,064 थी। आबादी के हिसाब से 2015 में प्रति एक लाख की दलित आबादी पर घटित अपराधों की राष्ट्रीय दर 22.3 रही, जबकि राजस्थान में यह दर 47.2, आन्ध्र प्रदेश मे

52.3, गोवा में 51.5, बिहार में 38.9, मध्यप्रदेश में 36.9, ओड़िसा में 32.1, छत्तीसगढ़ में 31.04, तेलंगाना में 30.9, गुजरात में 25.7, केरल में 24.7 रही। उत्तर प्रदेश में यह दर औसत से भी कम यानि 20.2 थी।

दलितों पर होने अत्याचारों में बलात्कारों की घटनाओं का काफी बड़ा हिस्सा है। वर्ष 2015 में दलित महिलों के बलात्कार के राष्ट्रीय स्तर पर कुल मामले 2326 थे। इसकी राष्ट्रीय दर 1.2 रही। दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की कोशिश की बात की जाए तो वर्ष 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की घटनाएँ कुल 2.800 हुई। इस तरह से इनकी राष्ट्रीय दर 1.4 थी जबकि मध्यप्रदेश में 6.9, महाराष्ट्र में 2.7, हरियाणा में 2.1, केरल में 2.2, उड़ीसा में 2.2, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1.8 और उत्तर प्रदेश में 1.8 रही। आँकड़ें भी यह स्पष्ट करते हैं कि मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले राष्ट्रीय औसत से 2-5 गुना तक ज्यादा है।

भारतीय समाज सदियों से वर्ण-व्यवस्था की जकड़न में रहा है। इस वर्ण-व्यवस्था ने मनुष्य-मनुष्य में जो भेद स्थापित किया है, वो विश्वभर के किसी अन्य देशों में नहीं मिलता। ब्राह्मण,वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र इन चार वर्णों में बँटा पूरा भारत अतीत के जिस दौर से गुजरा है, वह दिल दहला देने वाला है। वर्ण-व्यवस्था के चलते शूद्रों को शिक्षा और ज्ञान से वंचित कर दिया गया। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में उनकी उपस्थिति निषेध कर दी गई। मंदिर प्रवेश व धन संचय करना उनके लिए वर्जित था। उसका काम था- निस्वार्थ भाव से अपने से ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। इस प्रकार तमाम मानवीय अधिकारों से वंचित कर शूद्र का जीवन नरक से भी बदत्तर बना दिया गया।

भारत में दमन के महामारी की शुरुआत वर्ण व्यवस्था से हुई। मनुस्मृति 185ई. के आसपास अस्तित्व में आई। मनु ने समाज को चार वर्गों में विभाजित किया- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मनु कहते हैं कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय हाथ से, वैश्य जांघ से तथा शूद्र इश्वर के पैर से उत्पन्न हुए हैं। वर्णों के आधार पर कार्यों को बाँट दिया गया अर्थात् ब्राह्मण को समाज में सबसे उच्चे तथा शूद्र को सबसे नीचे माना गया। शूद्र, अस्पृश्य, चांडाल, अद्विज्य के नाम से उनको उद्बोधित करके समाज ने उनको तिरस्कृत, घृणित एवं हेय दृष्टि से देखा, शूद्रों को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए। शूद्रों को इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए रखा गया। यही तीनों वर्ण मिलकर शूद्र को हमेशा से दबाते आ रहे हैं।

अधिकांश सामान्य स्पष्टीकरण में 'वर्ण' से 'जाति' आई और 'जाति' से अस्पृश्यता' आई। जातियां वर्ण व्यवस्था की पूरक हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो शायद गलत नहीं होगा जब वर्ण पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है, उसे जाति कहते है। यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति पर जाति का प्रभाव और नियंत्रण जन्म से लेकर मृत्यु तक अनवरत बना रहता है।

भारत सरकार द्वारा जिस वर्ग को अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग कहा गया है, उसे ही आम भाषा में दलित कहा जाता है। दलित का अर्थ है: एक ऐसा वर्ग जो हर दृष्टि से वंचित है। यह वर्ग समाज के अन्य वर्ग के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ है। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है: दालान किया हुआ। "रामचंद्र वर्मा" ने अपने शब्दकोष में दलित का अर्थ लिखा है- 'मसला हुआ, मर्दित, दबाया, रौदाया, कुचला हुआ, विनिष्ट किया, दूसरे शब्दों में उत्पीड़ित, अपमानित, शोषित, छालित, वंचित, बहिष्कृत भी इन्हें कहा जा सकता है। इसका व्यापक अर्थ है— सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति, भारत के संविधान में इन्हें अनुसूचित जाति एवं जनजाति कहा गया। यह शब्द सरकार द्वारा आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सहायत प्राप्त करने की पात्रता देते हैं।

- **खैरलांजी हत्याकांड**

मानवता को तार-तार कर रख देनी वाली खैरलांजी हत्याकांड जिसने मानव को मानव होने और सामाजिक प्राणी कहने पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया। हम सब जानते हैं कि ईश्वर ने सबको समान रूप से जन्म दिया है। प्रकृति द्वारा निर्मित कुछ जन्मजात शारीरिक दोष के अलावा आदमी-आदमी में कोई भेद नहीं है।

महाराष्ट्र के भण्डारा जिले में मोहाड़ी नाम की एक तहसील है जहां खैरलांजी नाम का एक छोटा सा गांव है। 29 सितम्बर, 2006 को खैरलांजी गांव में तथाकथित "सवर्ण" लोगों ने एक बौद्ध परिवार पर जानलेवा हमला किया। उस परिवार की महिलाओं को बेइज्जत किया गया। परिवार की प्रमुख महिला सुरेखा तथा उनकी पुत्री प्रियंका पर शारीरिक अत्याचार किये। मां-बेटी से दुष्कर्म के बाद उनकी पत्थर मार-मार कर हत्या कर दी गयी। इसके बाद सुरेखा के पुत्र रोशन और सुधीर की भी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गयी। हत्या के बाद चारों की लाशें नहर में फेंक दी। उस घर में बचे तो सिर्फ परिवार के मुखिया भैयालाल भोतमांगे। जब सुरेखा और प्रियंका पर अत्याचार किये जा रहे थे तब बड़ी संख्या में गांव की महिलाएँ भी मौजूद थीं लेकिन किसी ने भी उन्हें बचाने की

कोशिश नहीं की। ऐसा क्यों हुआ? क्या वंचित-कथित सवर्ण संघर्ष अब नारी-नारी की अस्मिता में भी भेद कर रहा है? आखिर इतने भीषण हत्याकांड के पीछे कारण क्या था? 29 सितम्बर को हुए इस हत्याकांड के बाद आखिर 1 अक्तूबर तक पुलिस में कोई प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) तक दर्ज क्यों नहीं हुई? नहर में सुरेखा और प्रियंका की लाशें मिलने के बाद ही पुलिस क्यों सक्रिय हुई? इस मामले को तब तक क्यों दबाया जाता रहा जब तक पूरे महाराष्ट्र में इस घटनाक्रम की तीखी प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी? आखिर मुम्बई, पुणे, सोलापुर और नागपुर जैसे बड़े नगरों सहित जिला मुख्यालयों पर इस अत्याचार के विरोध में वंचित समाज के लोगों द्वारा प्रदर्शन किये जाने तक आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न होती देख ही वंचित समाज का गुस्सा प्रकट हुआ था।

सितंबर 2008 में भोतमांगे परिवार की हत्या के आरोप में फास्ट ट्रैक अदालत ने छह लोगों को दोषी पाते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई। जुलाई 2010 में बंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यह कहते हुए दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कैद में बदल दिया कि यह मामला 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' की श्रेणी में नहीं आता था। जजों ने इस मामले में एससी-एसटी एक्ट लगाने से भी इनकार कर दिया क्योंकि यह मामला जातीय संघर्ष का नहीं था। अदालत ने पाया कि जिन लोगों ने भोतमांगे परिवार की हत्या की वे जातिगत पूर्वाग्रह से पीड़ित नहीं थे बल्कि उन्होंने बदला लेने की नीयत से भोतमांगे परिवार की हत्या की।

कोर्ट के इस फैसले से दलित समुदाय को निराशा हुई। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और भैयालाल भोतमांगे को उम्मीद है कि उन्हें इस मामले में न्याय जरूर मिलेगा। इस बीच हर साल की तरह न्याय की आस में 29 सितंबर को दलित और बौद्ध संगठन उस जगह पर रौशनी करेंगे जहां भोतमांगे के पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दी गई थी। उस जगह अब वह झोंपड़ी नहीं है, केवल एक लोहे की खाट है जिसे भैयालाल भोतमांगे ने उसी जगह पर रखा है जहां उनके परिवार को जलाया गया था। यह खाट उनकी उम्मीद और यादों का ठिकाना है।

सुझाव

समाजकार्य शोधार्थी होने के नाते मेरा मानना है कि भैयालाल भोतमांगे की मृत्यु के बाद भी इस केस की सुनवाई जारी रहनी चाहिए ताकि दोषियों को उनके किए की सजा मिल सके। खैरलांजी हत्याकांड में न्याय की

आस लिए एकमात्र गवाह और परिवार को न्याय दिलाने के लिए आखरी वक्त तक संघर्षरत भैयालाल भोतमांगे का 20 जनवरी, 2017 को दिल का दौरा पड़ने से नागपुर के श्रीकृष्ण हृदालय में मृत्यु हो गई।

- **सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) दलित कांड**

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शब्बीरपुर गाँव में रहने वाले दलितों के घरों में 5 मई को आग लगा दी गई थी। इस घटना में शिव राज के घर के साथ-साथ 50 से अधिक दलितों के घर भी जला दिए गए। इस विवाद की शुरुआत 5 मई को पास वाले गाँव शिमलाना में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती के आयोजन में शब्बीरपुर के ठाकुरों की शोभा यात्रा को दलितों द्वारा रोके जाने की घटना से शुरू हुई।

शिव राज को ठाकुरों द्वारा मारा-पीटा गया। इस घटना के बाद से शब्बीरपुर में रहने वाले शिव राज बुरी तरह से डरे हुए थे। शिवराज का कहना था कि बात इस घटना की नहीं है। आज से पहले हमने शब्बीरपुर में खुद को इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया था। उन्होंने कहा था "हम यहाँ से कहीं और चले जाएँगे और अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। इस घटना से शिव राज हों या उनके पड़ोसी दल सिंह या फिर शिमला देवी, ये सभी लोग काफी डरे हुए थे।

सुझाव

इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि देश में आज भी जाति-व्यवस्था को लेकर समय-समय पर शब्बीरपुर घटना जैसी मानवी कृत्य ऊँची जाति के लोगों द्वारा किए जाते हैं। देश में दलितों और जनजातियों की सुरक्षा के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम लागू है, लेकिन इसका असर उन लोगों पर नहीं दिखता जो बाहुबली है और जिन्होंने हमेशा से दलितों और कमजोरों का शोषण किया है। अत्याचार निवारण अधिनियम के आने से दलितों और समाज में नीचले तबके की जातियों को ऐसा लगा था कि यह अधिनियम उन्हें समाज में बराबरी और सम्मान दिलाने में सहायक होगा और उन पर जो अत्याचार करेगा उन्हें सजा मिलेगी, परंतु ऐसा कम ही देखने को मिला है। देश में जाति-प्रथा को लेकर पुराणी भ्रांतियाँ टूटी है, फिर भी शब्बीरपुर जैसी घटना बीच-बीच में हमें यह याद दिलाती रहती है कि यह प्रथा अभी भी जिंदा है। इस मानसिकता को तोड़ना और दलित एवं जनजातियों की स्थिति में सुधर को लेकर काम किया जाना चाहिए।

- **गुजरात में दलित सरपंच की हत्या**

गुजरात में एक दलित सरपंच की तीन लोगों ने लोहे की छड़ और धारदार हथियारों से हत्या कर दिया था। घटना अमरेली जिला के वर्सादा गाँव की थी। सरपंच जयसुख मदहद 25 वर्ष के थें। दलित समुदाय के लोगों ने आरोपियों को जेल में भेजे जाने तक शव लेने से इंकार कर दिया था।

शुरुआती जाँच में अमरेली पुलिस अधीक्षक राजेश परमार ने हत्या का कारण चुनावी रंजिश बताया था। अमरेली जिला के एसपी जगदीश पटेल ने कहा था, 'जयसुख को पिछले साल चुनाव लड़ने पर धमकी मिली थी। उनकी टीम ने हत्या के मुख्य आरोपी दीप दधल को गिरफ्तार किया था। उस पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 34 (समान मंशा से कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य) और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) कानून की धारा 3 (2), (5) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

सुझाव

देश की राजनीति को देखें तो यह कहा जा सकता है कि यहाँ सत्ता किसी भी पार्टी की हो लेकिन उस पार्टी में सवर्णों का ही दबदवा बना रहता है। गुजरात की इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि राजनीति में भी दलितों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। सवर्णों को यह लगता है कि राजनीति में अगर दलितों की पैठ बन गई तो वो अपने समुदाय और समाज की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर देंगे जिससे उनके अधिकार क्षेत्र में कमी होगी और समाज में उनका दबदबा कम हो जाएगा। दलितों की समस्याओं को सत्तासीन सरकार तक पहुँचाने वाले नेताओं को या तो मार दिया जाता है या फिर उनको करने के लिए कुछ दिया नहीं जाता। दलितों को भी नेतृत्व का मौका देकर देखिए वो भी बड़ी कुशलता से सरकार को चला सकते हैं।

- **रोहित वेमुला कांड**

केंद्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद के पीएचडी शोधार्थी रोहित वेमुला ने आत्म हत्या किया था। यह घटना रविवार 17 जनवरी 2016 की थी। मृत्यु का कारण आजतक स्पष्ट नहीं हुआ। आत्महत्या से पहले अपने संगठन के साथ रोहित ने याकूब मेनन की मौत की सजा के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान इनकी एबीवीपी से जुड़े छात्रों से हाथापाई हुई थी। कार्रवाई स्वरुप विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनको हॉस्टल से निकल दिया था।

रोहित की मौत पर खूब राजनीति हुई थी। आलम यह था कि तत्कालीन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गाँधी हैदराबाद विश्वविद्यलय पहुंचे और छात्रों से भी मिले थे। राहुल ने कुलपति के इस्तीफे की भी मांग की थी। बीबीसी के मुताबिक रोहित की माँ राधिका वेमुला के कहा था कि वह परिवार के लिए रोटी कमाने वाला इकलौता सदस्य था। विश्वविद्यालय से जो पैसा उसे मिलता था, उसका एक हिस्सा वह घर भेजता था। उन्होंने कहा था कि रोहित की मौत के पीछे ताकतवर लोगों ने षड्यंत्र रचा था।

रोहित की मौत के बाद मामला को दबाने के लिए उसकी पहचान पर प्रश्न उठा, जिसमें यह कहा गया था कि वह ओबीसी समुदाय का था न कि दलित। मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को उनके पद से हटा दिया गया था। रोहित इस दुनिया से चला गया लेकिन सवाल अभी भी बचा हुआ है कि उसकी मौत का दोषी कौन है? क्या जातिवादी व्यवस्था ने उसकी जान ली थी? या फिर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था? दोषी कोई भी हो लेकिन एक पीएचडी शोधार्थी और संभावित विज्ञान लेखक अब इस दुनिया में नहीं रहा।

सुझाव

रोहित वेमुला के आत्महत्या के पीछे का कारण भले ही स्पष्ट नहीं हो पाया हो, परंतु एक विद्यार्थी ने अपनी जान गवाईं है। शैक्षणिक संस्थानों में जाति-धर्म को लेकर प्रश्न उठता है तो वो उस संस्थान की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। क्योंकि शैक्षणिक संस्थान में विद्यार्थी अपने मानसिक स्तर का विकास करने, जाति-धर्म और समाज में व्याप्त कुरीतियों में बदलाव कैसे लाया जाए और बेहतर चरित्र का निर्माण कैसे किया जाए इसके लिए जाता है। अगर वहाँ भी विद्यार्थियों को जाति-धर्म के आधार पर बाँटा जाएगा तो क्या फायदा हमारे देश का विकास की राह पर चलने का? जो चीजें समाज में वर्षों पहले थी, आज भी उन्ही से छात्रों को दो-चार होना पड़ रहा है। रोहित के केस पर राजनैतिक लोग भी अपने फायदे की रोटी सेकने से पीछे नहीं रहें। राजनीति देश और समाज में फैले कुरीतियों को मिटाने के लिए किया जाना चाहिए, देश की बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए, देश के होनहार भविष्य पर नहीं। अतः यह घटना शैक्षणिक संस्थान की शाख पर प्रश्न खड़ा करता है।

- **पुलिस की बर्बरता, दो युवकों को बेरहमी से पिटा**

किरनापुर पुलिस थाना के सामने रात्रि में ग्राम के दो युवकों के साथ मारपीट और जातिगत रूप से अपमानित करने का मामला सामने आया था। घटना 21 अक्टूबर, 2017 की थी। पीड़ित श्रीदीप पिता ओमकार वासनिक एवं दीपेश पिता कैलाश मेश्राम के साथ घटी इस घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अनुविभागीय अधिकारी किरनापुर को 27 अक्टूबर को ज्ञापन सौंपा था। मामला को पंजीबद्ध नहीं करने वाले थाना प्रभारी को यहाँ से हटाने की भी मांग की गई थी। बसपा जिला प्रभारी अनिल उके ने बताया था कि श्रीदीप वासनिक को चोट लगने से चहरे, दाहिनी आँख एवं कान में चोट आई थी। दलित समुदाय के दो युवकों से पुलिस थाने के सामने 21 अक्टूबर की रात्रि पुलिस आरक्षकों द्वारा मारपीट की गई थी।

सुझाव

जनता के रक्षक ही जब उनका भक्षक बन जाए तो फिर आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जायेंगे। 21 अक्टूबर 2017 को घटी यह घटना इस बात की उदाहरण पेश करती है। पुलिस हमारे रक्षा के लिए होती है। यदि हमें कोई परेशानी होती है तो हम अपनी समस्याओं को लेकर पुलिस के पास जाते हैं लेकिन पुलिस वाले ही समस्या बन जाए तो हम कहाँ जाएंगे? विचारणीय यह है कि यह घटना सिर्फ इसलिए घटी क्योंकि वो दोनों युवक दलित थे या फिर किरनापुर थाने की पुलिस की आम जनता के प्रति भी यही रवैया है? बात जो भी हो लेकिन ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लगा तो लोगों का पुलिस से भरोसा उठ जाएगा।

यह स्त्री विमर्श का साल है। लंबे अरसे तक घोषणाएँ होती रहीं, पर विधायिकाओं में महिला आरक्षण का सवाल ज्यों-का-त्यों उलझा रहा। आम राय न बन पाने के पीछे मुद्दा यह था कि कुछ दलों ने एक तिहाई महिला आरक्षण में से दलित एवं पिछड़े समाज की महिलाओं के अलग आरक्षण की मांग की थी। पिछले कुछ अरसे में हिंदी साहित्य में दलित प्रश्न को लेकर कुछ तीखे सवाल उठाए गए। इस समुदाय में दलित प्रश्न को लेकर कितनी चिंता है, इसका कुछ सबूत इन लेखकों के उस मासूम ख़ामोशी में मिलता है, जो डरबन में होने वाले नस्लभेद संबंधी राष्ट्र संघ के सम्मेलन को लेकर है। लेखक 'मुद्राराक्षस' ने अपनी किताब " बीच बहस में— स्त्री, दलित और जातीय दंश" में दलित महिलाओं से संबंधित जटिल समस्याओं की ओर पाठकों का ध्यान खीचने की

कोशिश की है। इस पुस्तक ने दलित महिलाओं और उनकी सामाजिक स्थिति पर विचार-विमर्श के लिए मंच तैयार करने का काम किया है। (मुद्राराक्षस, 2011)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति: अगर समाज में कानून और न्याय के रखवालों में टकराव हो तो क्या जाति और धर्म की बेड़ियों से मुक्ति संभव है? धर्म और जाति की सामाजिक-आर्थिक और सामाजिक-राजनीतिक गतिकी में जल्द कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं है, क्योंकि पुराने कानूनों, न्यायपालिका द्वारा उनकी गलत व्याख्या और राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव अर्थात वे कारक जो उसे ऑक्सीजन देते हैं, आज भी अपरिवर्तित हैं। संविधान के अनुच्छेद 366 (24) व 341 (1) के अनुसार 'अनुसूचित जातियों से ऐसी जातियाँ, मूलवंश या जनजातियाँ अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनके यूथ अभिप्रेत हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाएगा।'

स्पष्टतः हमारे संविधान में अनुसूचित जाति की परिभाषा केवल और केवल धर्म पर आधारित है। इसलिए इस्लाम ईसाई व अन्य धर्म मानने वाले इससे बाहर हैं। यद्यपि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है परंतु यही अनुच्छेद यह भी कहता है कि 'इस अनुच्छेद की कोई बात, राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

अत्याचार: अत्याचार हिन्दी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ किसी व्यक्ति अथवा प्राणी पर नृशंसता से किए गए उत्पीड़न के कार्य से संबंधित है। जब किसी जीव पर क्रूरता बरपाई जाए या उसे उसके मन के विपरीत कार्य करने को बाध्य किया जाए तो वह अत्याचार कहलाता है। हमारे देश में हमेशा से एक ऐसे समूह को उपेक्षित कर उस पर अत्याचार किया गया है जिससे उसे आज तक सामाजिक समानता हासिल नहीं हो पाई है, जिसे हम दलित कहते हैं।

महिलाएँ: महिलाओं को हमेशा दूसरे स्थान पर ही रखा गया है, महिलाएँ दलितों में भी दलित मानी गई हैं। इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता है कि दलित समाज में महिलाएँ अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता रहा है और ना जाने कब तक होगा?

"किसी देश का चरित्र सबसे अधिक इस बात से तय होता है कि वहाँ की महिलाओं की क्या स्थिति है और उस समाज में महिलाओं का क्या स्थान है? यही बात शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों पर भी उतनी ही लागू होती है।"

दलित महिलाओं की स्थिति और उनमें सुधार

मानव सभ्यता के इतिहास में महिला अस्मिता, उनके अधिकार और स्वतंत्रता का प्रश्न हमेशा से ही उलझन भरा रहा है। महिलाओं को लेकर जितनी ही व्यवस्थाएं बनी उनमें उसे प्रायः दोयम दर्जे का स्थान ही दिया गया है। महिलाएँ दलितों में भी दलित मानी गई है। इसके लिए हमारी सामाजिक व्यवस्था और पुरुष प्रधान समाज की सोच पूर्णतः उत्तरदायी है। सामाजिक असमानता, निरक्षरता, अंधविश्वास, दहेज़, जाति-प्रथा, लिंग-भेद आदि मुद्दों के विरूद्ध आवाज उठती रही हैं और लगातार उठती रही हैं। परंतु इन सभी से मुक्ति पाना अभी बाकी है। भारतीय समाज में महिला और पुरुष दोनों को समान बताया गया है और उनके विकास के लिए समान अवसरों की गारंटी दी गई है। अनेक प्रावधानों द्वारा दलित महिलाओं को सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इन सबके बावजूद दलित महिला की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि सामाजिक रवैये में बदलाव नहीं हुए। वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो भारत में महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत हो-हल्ला हो रहा है। महिलाओं के अधिकारों, सामाजिक स्थिति में सुधार को लेकर कई एन.जी.ओ. और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार कार्य कर रहे हैं। सरकार भी इस क्षेत्र में सुधार को लेकर अपनी इच्छाशक्ति जाहिर कर चुकी है। बावजूद इसके महिला सशक्तिकरण एक ऐसा महत्त्वपूर्ण सामाजिक घटक है जिसको समझने के लिए हमे पारिवारिक ढाँचे सहित उसके बहुअयामी प्रभाव पर मनन करना होगा। हमारे समुदाय में दलित समुदाय की महिला भी रहती है। दलित महिलाओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों का व्यवहार अन्य महिलाओं की अपेक्षा उनके प्रति शोषण का होता है। दलित महिलाओं को बाहर से लेकर घर तक हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। अगर वो पानी भरने जाए, गाँव से दूर या नदी, तालाब की ओर तो उसे घेरा जाता है, वो शौच के लिए जाए तो बड़ी जाति के लड़के उसके अकेलेपन का लाभ उठाकर उसका शोषण करते हैं या उसे अपमानित करते हैं। यहाँ तक कि खाना पकाने के ईंधन को जुटाने में भी उसे इन स्थितियों से गुजरना पड़ता है क्योंकि बड़ी जाति के लोगों के पास जमीन हैं, बाग हैं, खेत हैं, गाय हैं पर भूमिहीन दलित परिवारों की महिलाओं को तो उन्हीं पर निर्भर होना पड़ता है जिसका लाभ उठाया जाता है। इसलिए पानी, शौच और ईंधन, इन तीनों की व्यवस्था के लिए सरकार को कारगर

कदम उठाने होंगे। इस तरह के आर्थिक कार्यक्रमों के अलावा सामाजिक और शैक्षणिक कार्यक्रम भी बनाने पड़ेंगे। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और बराबरी के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर, 1991 से विशेषतः ग्रामीण और आदीवासी क्षेत्रों की महिलाओं के कल्याण एवं विकास हेतु 'पंचधारा योजना' शुरू की गई। इस कार्यक्रम के तहत वात्सल्य योजना, ग्राम्य योजना, आयुस्मति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और कल्पवृक्ष योजना शामिल है। फिर भी वर्तमान समय में देखा जाए तो दलित महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार देखने को कम मिलता है। यह एक अपवाद मात्र है कि बौधिष्ट दलित महिलाओं की स्थिति अन्य दलित महिलाओं से थोड़ा बेहतर है।

19वीं सदी के मध्य महात्मा जोतिबा फुले, 20वीं सदी में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जैसे महान समाज सुधारकों ने दलित, शोषित व पीड़ित समाज के लिए जीवनभर संघर्ष किया जिससे समाज में काफी बदलाव आए। जाति व्यवस्था होने के कारण दलित अछूतों को जिन अधिकारों से वंचित रखा गया। भारतीय समाज द्वारा दलितों को अन्य लोगों के समान ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अधिकार दिए गए हैं। उनके लिए सरकारी नौकरियों, विधान सभाओं, मंत्रिमंडलों एवं लोकसभा में अनेक स्थान सुरक्षित रखे गए हैं तथा उन्हें शिक्षा की विशेष सुविधाएँ प्रदान की गई है। साथ ही अस्पृश्यता के निवारण हेतु 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम (The Untouchability Offences Act, 1955) भी पारित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता निवारण की बात रखी गई जिसमें यह कहा गया है कि "अस्पृश्यता खत्म की जा चुकी है और उसको किसी भी स्वरुप में आचरण में लाना निषिद्ध है। इसका किसी भी तरह का आचरण नियम के अनुसार गुनाह माना जाएगा। बावजूद इसके दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।

- **महिला आयोग ने दलित महिलाओं के साथ मारपीट प्रतारणा मामले में संज्ञान लिया**

सीआईए में दलित महिलाओं के साथ मारपीट प्रताड़ना के मामले में महिला आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग ने पुलिस अधिकारियों को एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ 4 मई को कार्यालय में तलब किया। पीड़ित महिला के वकील नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कल्सन ने बताया कि हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन ने हांसी के डीएसपी, महिला थाना की एसएचओ, चोरी के मुकदमा के जाँच अधिकारी को 4 मई को अपने कार्यालय में पीड़ित महिला की दरख्वास्त पर एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ तलब किया।

महिला आयोग ने सदर थाना इंचार्ज से घटना के दिनों के रोजनामचा रजिस्टर आरोपी पुलिस कर्मचारियों की कॉल डिटेल भी मंगवाई गई। सीआईए में महिलाओं को प्रताड़ित करने की घटना 21 अप्रैल को हुई थी। कल्सन ने बताया कि हरियाणा महिला आयोग के साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी हांसी से रिपोर्ट तलब की।

- **टीना डाबी दलित महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत**

साल 2015 की आईएएस टॉपर टीना डाबी आज दलित महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। दरअसल, 22 वर्षीय यूपीएससीपरीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली पहली दलित महिला हैं। टीना डाबी ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक किया है। टीना ने पहली बार में आईएएस की परीक्षा पास कर सभी को हैरान कर दिया था। ठीक उसी प्रकार जाति-धर्म के भेदभाव को पीछे छोड़ते हुए उसने मुस्लिम समुदाय के अतहर आमिर-उल-शफी खान से शादी करने का फैसला लेकर सबको फिर से चौंका दिया। टीना अपने फैसले को लेकर काफी खुश है।

फैसले खुद करने का हक: सोशल मीडिया पर जब टीना और अतहर की तस्वीरें शेयर की जाने लगीं, तो कुछ लोगों ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ भी की। इन बातों से टीना आहत भी हुईं, लेकिन वो मानती हैं कि सार्वजनिक जीवन में होने की ये छोटी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो और आमिर एक-दूसरे के प्यार करते हैं और वो अपने रिश्ते से बहुत खुश हैं। टीना ने कहा कि एक स्वतंत्र विचार वाली आत्मनिर्भर महिला होने के नाते उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का हक है।

उम्मीद है बदलाव आएगा: टीना कहती हैं कि निश्चित तौर पर आज मैं अपना फैसला इसलिए ले पाई, क्योंकि मैं इस पोजिशन पर थी। जबकि बहुत से लोग ऐसे फैसले लेने में हिचकते हैं। मुझे बधाइयाँ मिल रही हैं। हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। एक तरह से मैं खुद एक उदाहरण पेश करना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस फैसले से बदलाव आएगा।

वर्तमान समय में टीना जैसी कई दलित लड़कियाँ अपनी हुनर और काबलियत से समाज की संकीर्ण मानसिकता को तोड़ रही है और उन महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन रही हैं जिनको समाज के लोगों द्वारा आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया गया।

- **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पर रिपोर्ट की समीक्षा**

अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के बीस वर्ष पूरे होने पर जगह-जगह जो उसकी समीक्षा का सिलसिला चला था और साथ ही कानून में चंद संशोधन भी प्रस्तावित किए गए, वही प्रक्रिया अब राष्ट्रीय सलाहकार परिषद तक पहुँची है। फौरी तौर पर जहाँ यह देखना जरूरी है कि परिषद की कितनी सिफारिशें संशोधित अधिनियम में शामिल होती हैं, वहीं इस बात की निगरानी भी निहायत आवश्यक है कि अमल के मामले में क्या कोई फर्क पड़ने वाला है या पहले की तरह कानून और अमल के बीच खाई बनी रहेगी।

जिस दिन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशें अखबारों में प्रकाशित हुईं, उसी दिन दो अन्य समाचार भी प्रकाशित हुए थे, जो इसी खाई को रेखांकित कर रहे थे। पहली खबर अमदाबाद से लगभग सौ किलोमीटर दूर धांडुका तहसील के गलसाना गाँव के बारे में थी, जहां के पाँच सौ दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने के 'अपराध' में सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। वहाँ की ऊँची जातियों ने गाँव में बने सभी पाँच मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। इससे भी अधिक विचलित करने वाली बात यह थी कि राज्य के सामाजिक न्याय महकमे के अधिकारियों ने पिछले दिनों गाँव के दौरे के बाद इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। दूसरी खबर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पूनिया के महाराष्ट्र दौरे से संबंधित थी, जिसमें अनुसूचित तबकों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं के अमल की समीक्षा के लिए विभिन्न महकमों के अधिकारी जुटे थे। कांग्रेस पार्टी के सांसद पूनिया ने अनुसूचित वर्ग पर होने वाले अत्याचार में दोषसिद्धि यानी आरोप साबित होने की कम दर की कड़ी आलोचना की। गौरतलब है कि यहां दोषसिद्धि दर सिर्फ छह प्रतिशत है, जो कुछ समय पहले महज तीन प्रतिशत थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2004 में पेश की गई 'रिपोर्ट ऑन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससीज' (अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचारों के निवारण की रिपोर्ट) इन बातों का विवरण पेश करती है कि किस तरह नागरिक समाज खुद जाति आधारित व्यवस्था से लाभान्वित होता है और किस तरह वह गैर-बराबरी पूर्ण सामाजिक रिश्तों को जारी रखने और समाज के वास्तविक जनतांत्रिकीकरण को बाधित करने के लिए प्रयासरत रहता है। दरअसल, यह स्थिति सामाजिक मूल्यों में मौजूद गहरी दरार की ओर इशारा करती है। जहां एक

जनतांत्रिक उदार व्यवस्था के अंतर्गत लोग खुद सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों से लाभान्वित होना चाहते हैं, वहीं जब इन्हीं अधिकारों को अनुसूचित जाति या जनजाति को देने की बात आती है तो मुखालफत करते हैं।

1.2 सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

वर्ण-व्यवस्था किसी भी धर्म में सामाजिक विभाजन का एक आधार है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पृथ्वी पर सबसे समझदार और चतुर भी। भगवान ने मनुष्य बनाया और मनुष्य ने मनुष्य को जाति, धर्म को। भगवान ने इंसान बनाते समय कोई कोई अंतर नहीं रखा शिवाय शारीरिक अक्षमता को छोड़कर। मनुष्य ने अपने सहूलियत के लिए वर्ण-व्यवस्था को बनाया और एक इंसान को दूसरे इंसान से जाति, धर्म के नाम पर बाँट दिया। आदिकाल से ही यह मानसिकता रही है कि वह अपने से कमजोर पर अधिकार रखे और उनका आवश्यकतानुसार इस्तेमाल करे। भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ पर अनेक जाति और धर्म के लोग रहते हैं। इस देश में वर्ण-व्यवस्था का मकड़जाल इस कदर फैला है कि एक इंसान दूसरे इंसान के मदद के लिए भी आगे नहीं आता है। यहाँ इंसान, इंसानियत को भुलाकर कमजोर, असहाय लोगों को हमेशा से प्रतारित करते आ रहे हैं।

मैकाइबर और कूल आदि समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन के आधर पर बताया है कि सामाजिक वर्ग विश्व के सभी समाज में किसी-न-किसी रूप में अवश्य पाए जाते हैं। कहीं पर सामाजिक वर्गों का निर्माण जन्म के आधार पर तो कहीं पर धन के आधर पर। इतना निश्चित है कि सामाजिक वर्ग प्रत्येक समाज में आवश्य में पाया जाता है। मनुष्य की प्रवृत्तियों तथा व्यवसायों के आधार पर समाज का विभाजन संसार के सभी देशों में पाया जाता है।

इग्लैण्ड के प्रसिद्ध विद्वान एच. जी. वैल्स के अनुसार— "मनोवैज्ञानिक प्रवृतियों के आधार पर समाज-विभाजन से समाज का श्रेष्ठ विकास होता है तथा उसकी शक्ति बढ़ती है।"

किग्सले डविस और मूर के अनुसार— "समाज अपनी स्थिरता एवं उन्नति के लिए अपने व्यक्तित्व को उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों में बाँट देता है।"

प्राचीन भारतीय सामाजिक विचारकों ने भी मनुष्य की मनोवैज्ञानिक प्रवृतियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक स्तरीकरण को एक सुनियोजित नीति को अपनाया तथा कार्यात्मक दृष्टि से समाज को चार वर्गों में

विभाजित किया। जिन्हें— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के नाम से जाना जाता है। वर्ण-व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन के मौलिक तत्व के रूप में पायी जाती है। भारतीय संस्कृति में समाज में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान तथा उससे संबंधित कार्य उसकी मूलभूत प्रवृत्तियों यानी गुणों के आधार पर निश्चित होता था।

भारत में वर्ण-व्यवस्था को निम्नलिखित वर्गों में बाँटा गया है:

ब्राह्मण: ब्राह्मण को बुद्धिजीवी माना जाता है, जो अपनी विद्या, ज्ञान और विचार शक्ति द्वारा जनता एवं समाज का नेतृत्व कर उन्हें सन्मार्ग पर चलने का आदेश देता है। 'ब्राह्मण' भारत में आर्यों की समाज विधि-व्यवस्था अर्थात वर्ण-व्यवस्था का सबसे ऊपर का वर्ण है। भारत के सामाजिक बदलाव के इतिहास में जब भारतीय समाज को हिन्दू के रूप में संबोधित किया जाने लगा, तब ब्राह्मण वर्ण, जाति में भी परिवर्तित हो गया। ब्राह्मण वर्ण अब हिन्दू समाज की एक जाति भी है। ब्राह्मण को 'विप्र', 'द्विज', 'द्विजोत्तम' या 'भूसुर' भी कहा जाता है।

क्षत्रिय: क्षत्रिय वह है जो बाहुबल द्वारा समाज में व्यवस्था रखकर उन्हें उच्छृंखल होने से रोकता है। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। भारतीय आर्यों में अत्यंत आरंभिक काल से वर्ण-व्यवस्था मिलती है, जिसके अनुसार समाज में उनको दूसरा स्थान प्राप्त था। उनका कार्य युद्ध करना तथा प्रजा की रक्षा करना था। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार क्षत्रियों की गणना ब्राह्मणों के बाद की जाती थी, परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चार वर्णों में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से ऊँचा अर्थात समाज में सर्वोपरि स्थान प्राप्त था। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय थे और इससे इस स्थापना को बल मिलता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जहाँ एक ओर समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के दावे के प्रति क्षत्रियों के विरोध भाव को प्रकट करते हैं, वहीं दूसरी ओर पृथक जीवन दर्शन के लिए उनकी आकांक्षा को भी अभिव्यक्ति देते हैं। क्षत्रियों का स्थान निश्चित रूप से चारों वर्णों में ब्राह्मणों के बाद दूसरा माना जाता था।

वैश्य: खेती, गौ पालन और व्यापार के द्वारा जो समाज को सुखी और देश को समृद्ध बनाता है, उसे वैश्य कहते हैं। 'वैश्य' का हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में तीसरा स्थान है। इस वर्ण-व्यवस्था में आने वाले लोग मुख्यत: व्यवसाय और कृषि करते थे। हिंदुओं की जाति व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य वर्णाश्रम का तीसरा महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। इस वर्ग में मुख्य रूप से भारतीय समाज के किसान, पशुपालक, और व्यापारी समुदाय शामिल हैं। 'वैश्य' शब्द वैदिक 'विश्' से निकला है। अर्थ की दृष्टि से 'वैश्य' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जिसका मूल अर्थ "बसना" होता है। मनु के 'मनुस्मृति' के अनुसार वैश्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा के उदर यानि पेट से हुई है। जबकि कुछ अन्य विचारों के अनुसार

ब्रह्मा जी से पैदा होने वाले ब्राह्मण, विष्णु से पैदा होने वाले वैश्य, शंकर से पैदा होने वाले क्षत्रिय कहलाए; इसलिए आज भी ब्राह्मण अपनी माता सरस्वती, वैश्य लक्ष्मी, क्षत्रिय माँ दुर्गे की पूजा करते हैं।

शूद्र: शूद्र भारतीय समाज व्यवस्था में चतुर्थ वर्ण या जाति है। वायु पुराण, वेदांतसूत्र और छांदोग्य एवं वेदांतसूत्र के शांकरभाष्य में शुच और द्रु धातुओं से शूद्र शब्द व्युत्पन्न किया गया। वायु पुराण का कथन है कि शोक करके द्रवित होने वाले परिचर्यारत व्यक्ति शूद्र हैं। भविष्यपुराण में श्रुति की द्रुति (अवशिष्टांश) प्राप्त करने वाले शूद्र कहलाएँ। दीर्घनिकाय में खुद्दाचार (क्षुद्राचार) में सुद्द शब्द संबद्ध किया गया। होमर के द्वारा उल्लिखित 'कूद्रों' से शूद्र शब्द जोड़ने का भी प्रयत्न हुआ। उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का कार्य था। इस वर्ण का भी उतना ही महत्त्व था जितना अन्य तीनों वर्णों का था। यह वर्ण ना हो तो शेष तीनों वर्णों की जीवन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाए। यह व्यवस्था समाज के संतुलन के लिए थी। पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो ने भी समाज को चार वर्णों में विभाजित करना अनिवार्य बताया है। अन्य धर्मों में भी इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था की गयी थी। प्रत्येक व्यवस्था गुणों और कर्मों के आधार पर थी। डा.राधाकृष्णन कहते हैं— 'जन्म और गुण इन दोनों के घालमेल से ही वर्ण व्यवस्था की चूलें हिल गयी हैं।' शूद्र शब्द मूलत: विदेशी है और संभवत: एक पराजित अनार्य जाति का मूल नाम था। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है और प्रयत्न और विकास से अन्य वर्ण अवस्थाओं में पहुँचता है। वास्तव में प्रत्येक में चारों वर्ण स्थापित हैं।

दलित इतिहास का वर्तमान वास्तविक स्वरूप जानने के लिए भारत की प्राचीन जाति व्यवस्था के इतिहास पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। यद्दपि अस्पृश्य और दलित जातियां इतिहास के हर दौर में सामाजिक विषमताओं और सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता, जातिभेद और दासता का शिकार थी, लेकिन देश की एकता, संस्कृति, कला और आर्थिक समृद्धि में उसके बहुआयामी योगदान की महत्तवपूर्ण भूमिका रही है।

वर्ष 1931 में पहली बार तात्कालिक जनगणना आयुक्त (मि. जे. एच. हटन) ने सम्पूर्ण भारत के अस्पृश्य जतियों की जनगणना की और बताया कि भारत में 1108 अस्पृश्य जातियां हैं, यह वो जातियां थी जिनका धर्म नहीं था। इसलिए इन जातियों को बहिष्कृत जाति कहा गया। उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री (रैम्से मैक्डोनाल्ड) ने देखा कि हिन्दू, मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियन की तरह बहिष्कृत जातियां एक स्वतंत्र वर्ग है, इसलिए उनकी 'सूचि' तैयार करवाई गई। उस सूचि में समाविष्ट जातियों को ही अनुसूचित जाति कहा जाता है। इसी के आधार पर भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अध्यादेश 1935 के अनुसार कुछ सुविधाएँ दी गईं। उसी आधार पर भारत

सरकार ने अनुसूचित जाति अध्यादेश 1936 जारी कर आरक्षण की सुविधा प्रदान की। 1936 में उसी अनुसूचित जाति अध्यादेश में बदलाव कर अनुसूचित जाति अध्यादेश 1950 पारित कर आरक्षण का प्रावधान किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 17 बताया गया है कि 'अस्पृश्यता' को समाप्त कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण वर्जित है। अस्पृश्यता से अदभुत किसी निर्योग्यता का प्रवर्तन विधि के अनुसार दण्डनीय अपराध होगा। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लागू किया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन के पश्चात यह पाया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों में कुछ कमी है और यह महसूस किया गया कि इस कमी को दूर किया जाना आवश्यक है। अस्पृश्यता की समस्या की जाँच करने और अधिनियम में संशोधन के लिए श्री इलावा पेरूमल की अध्यक्षता में अनुसूचित जातियों की अस्पृश्यता, शैक्षिक और आर्थिक विकास पर समिति नियुक्त की गई। समिति ने जनवरी 1959 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें इसने कमियों को दूर करने के विचार से दाण्डिक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाने की विचार से अनेक अनुशंसा किया। इसको प्रभावी बनाने के लिए 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को 'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955' के रूप में संशोधित किया गया।

भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार या उत्पीड़न को रोकने के लिए "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम' (The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989) भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया।

अत्याचार निरोधक कानून क्या कहता है?

इस कानून की तीन विशेषताएँ हैं:

- यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों को दण्डित करता है।
- यह पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है।
- यह अदालतों को स्थापित करता है, जिससे मामले तेजी से निपट सकें।

इस कानून में किस प्रकार के अपराध दण्डित हैं?

- कुछ ऐसे दण्ड संघिता में शामिल हैं, उनके अपराध जो भारत की इस कानून में अधिक सजा निर्धारित की गई।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध होने वाले क्रूर और अपमानजनक अपराध, जैसे उन्हें जबरन अखाद्य पदार्थ (मल, मूत्र इत्यादि) खिलाना या उनका सामाजिक बहिष्कार करना, को इस क़ानून के तहत अपराध माना गया है। इस अधिनियम में ऐसे 20 से अधिक कृत्य अपराध की श्रेणी में शामिल किए गए हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989:

अनुभवों के साथ लोगों और प्रशासकों ने यह पाया कि सिविल अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1976 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संरक्षण प्रदान करने में विफल हुआ है। ऐसी घोर स्थिति तथा परिस्थितियों के अधीन 'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995' जैसी विद्यमान विधियों तथा भारतीय दण्ड संहिता के सामान्य प्रावधान इन अपराधों को रोकने के लिए अपर्याप्त पाए गए। अपराधों को रोकने व नियंत्रित करने के लिए विशेष विधान आवश्यक हो गया है, इसके परिणाम स्वरूप 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989' संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे दिनांक 11-09-1989 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और 12-09-1989 को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया गया और 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989' को 30 जनवरी, 1990 से प्रभावी रूप में लागू कर दिया गया।

1.3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

परिचय

यह कानून अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सम्मान, स्वाभिमान, उत्थान एवं उनके हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में किए गए विभिन्न प्रावधानों के अलावा इन जातियों के लोगों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए 16 अगस्त, 1989 को अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया गया। वास्तव में अछूत के रूप में दलित वर्ग का अस्तित्व समाज रचना की चरम विकृति का द्योतक है।

भारत सरकार ने दलितों पर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए भारतीय संविधान की अनुच्छेद 17 के आलोक में यह विधान पारित किया। इस अधिनियम में छुआछूत संबंधी अपराधों के विरूद्ध दण्ड में वृद्धि की गई है तथा दलितों पर अत्याचार के विरूद्ध कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनिमय के अंतर्गत आने वाले अपराध संज्ञेय गैरजमानती और असुलहनीय होते हैं। यह अधिनियम 30 जनवरी, 1990 से भारत में लागू हो गया।

यह अधिनियम उस व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और इस वर्ग के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करता है। अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार जो कोई भी यदि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और इस वर्ग के सदस्यों पर निम्नलिखित अत्याचार का अपराध करता है, तो वह दण्डनीय अपराध माना जाएगा-

- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जबरन अखाद्य या घृणाजनक (मल, मूत्र इत्यादि) पदार्थ खिलाना या पिलाना।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को शारीरिक चोट पहुंचाना या उनके घर के आस-पास या परिवार में उन्हें अपमानित करने या क्षुब्ध करने की नीयत से कूड़ा-करकट, मल या मृत पशु का शव फेंक देना।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़ा उतारना या उसे नंगा करके या उसके चेहरे पर पेंट पोत कर सार्वजनिक रूप में घुमाना या इसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करना जो मानव के सम्मान के विरूद्ध हो।

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के भूमि पर से गैर कानूनी-ढंग से खेती काट लेना, खेती जोत लेना या उस भूमि पर कब्जा कर लेना।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गैर कानूनी-ढंग से उनके भूमि से बेदखल कर देना (कब्जा कर लेना) या उनके अधिकार क्षेत्र की सम्पत्ति के उपभोग में हस्तक्षेप करना।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भीख मांगनें के लिए मजबूर करना या उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में रहने को विवश करना या फुसलाना।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को वोट (मतदान) नहीं देने देना या किसी खास उम्मीदवार को मतदान के लिए मजबूर करना।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध झूठा, परेशान करने की नीयत से इसे पूर्ण अपराधिक या अन्य कानूनी आरोप लगा कर फंसाना या कार्रवाई करना।
- किसी लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी) को कोई झूठा या तुच्छ सूचना अथवा जानकारी देना और उसके विरूद्ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोक सेवक उसकी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करना।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जानबूझकर जनता की नजर में जलील कर अपमानित करना, डराना।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी महिला सदस्य को अनादार करना या उन्हें अपमानित करने की नीयत से शील भंग करने के लिए बल का प्रयोग करना।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी महिला का उसके इच्छा के विरूद्ध या बलपूर्वक यौन शोषण करना।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जलाशय या जल स्त्रोतों का गंदा कर देना अथवा अनुपयोगी बना देना।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को किसी सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकना, उनके अधिकारों से वंचित करना या ऐसे स्थान पर जाने से रोकना जहाँ वह जा सकता है।

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान अथवा निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना या करवाना।

दण्ड का प्रावधान

ऊपर वर्णित अत्याचार के अपराधों के लिए दोषी व्यक्ति को छः माह से पाँच साल तक की सजा, अर्थदण्ड (फाइन) के साथ प्रावधान है। क्रूरतापूर्ण हत्या के अपराध के लिए मृत्युदण्ड की सजा है। अधिनियम की धारा 3 (2) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और-

- यदि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के खिलाफ झूठा गवाही देता है या गढ़ता है जिसका आशय किसी ऐसे अपराध में फँसाना है जिसकी सजा मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास जुर्माने सहित है। और इस झूठे गढ़े हुए गवाही के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को फाँसी की सजा दी जाती है तो ऐसी झूठी गवाही देने वाले मृत्युदण्ड के भागी होंगे।

यदि वह मिथ्या साक्ष्य के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कराता है जिसमें सजा सात वर्ष या उससे अधिक है तो वह जुर्माना सहित सात वर्ष की सजा से दण्डनीय होगा। आग अथवा किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा किसी ऐसे मकान को नष्ट करता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, वह आजीवन कारावास के साथ जुर्माने से दण्डनीय होगा।

लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह एक वर्ष से लेकर इस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा। अधिनियम की धारा 4 (कर्तव्यों की उपेक्षा के दण्ड) के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अगर वह जानबूझ कर इस अधिनियम के पालन करने में लापरवाही करता है तो वह दण्ड का भागी होता। उसे छः माह से एक साल तक की सजा दी जा सकती है।

धारा-14 (विशेष न्यायालय की व्यवस्था)

इस धारा के अंतर्गत इस अधिनियम के तहत चल रहे मामले को तेजी से ट्रायल (विचारण) के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इससे फैसले में विलम्ब नहीं होता है और पीड़ित को जल्द ही न्याय मिल जाता है। धारा-15 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय में चल रहे मामले को तेजी से संचालन के लिए एक अनुभवी लोक अभियोजक (सरकारी वकील) नियुक्त करने का प्रावधान है। धारा-17 के तहत इस अधिनियम के अधीन मामले से संबंधित जाँच पड़ताल डी.एस.पी. स्तर का ही कोई अधिकारी करेगा। कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार होने पर वह उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा तथा निवारक कार्यवाही कर सकेगा। धारा-18 के तहत इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाले अभियुक्तों को जमानत नहीं होगी।

धारा-21 (1)

इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी ढ़ंग से कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार आवश्यक उपाय करेगी। (2) (क) इसके अनुसार पीड़ित व्यक्ति के पर्याप्त उपाय के लिए सुविधा एवं कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। (ख) इस अधिनियम के अधीन अपराध के जाँच पड़ताल और ट्रायल (विचारण) के दौरान गवाहों एवं पीड़ित व्यक्ति के यात्रा भत्ता और भरण-पोषण के व्यय की व्यवस्था की गई है। (ग) इसके अंतर्गत सरकार पीड़ित व्यक्ति के लिए आर्थिक सहायता एवं सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। (घ) इसके अनुसार ऐसे क्षेत्र का पहचान करना तथा उसके लिए समुचित उपाय करना जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्यधिक अत्याचार होते हैं। अधिनियम की धारा 21 (3) इसके अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम से संबंधित उठाए गए कदमों एवं किए गए उपायों में समन्यव के लिए आवश्यकतानुसार सहायता करेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995, यह नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का ही विस्तार हैं। अधिनियम के अधीन दर्ज मामले को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पीड़ित व्यक्ति को त्वरित न्याय एवं मुआवजा दिलाने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 पारित किया गया है।

धारा 5 (1) (थाना में थाना प्रभारी को सूचना संबंधी)

इसके अनुसार अधिनियम के तहत किए गए अपराध के लिए प्रत्येक सूचना थाना प्रभारी को दिए जाने का प्रावधान है। यदि सूचना मौखिक रूप से दी जाती है तो थाना प्रभारी उसे लिखित में दर्ज करेंगे। लिखित बयान को पढ़कर सुनायेंगे तथा उस पर पीड़ित व्यक्ति का हस्ताक्षर भी लेंगे। थाना प्रभारी मामले को थाना के रिकॉर्ड में पंजीकृत कर लेंगे। (2) उपनियम के तहत दर्ज एफ.आई. आर. की एक कॉपी पीड़ित को निःशुल्क दिया जाएगा। (3) अगर थाना प्रभारी एफ.आई. आर. लेने से इंकार करते हैं तो पीड़ित व्यक्ति इसे रजिस्ट्री द्वारा एस. पी. को भेज सकेगा। एस.पी. स्वंय अथवा डी. एस.पी. द्वारा मामले की जाँच पड़ताल करा कर थाना प्रभारी को एफ.आई. आर. दर्ज करने का आदेश देंगे।

धारा-6

इसके अनुसार डी.एस.पी. स्तर का पुलिस अधिकारी अत्याचार के अपराध की घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल का निरीक्षण करेगा तथा अत्याचार की गंभीरता और सम्पत्ति की क्षति से संबंधित रिर्पोट राज्य सरकार को सौंपेगा।

धारा-7 (1)

इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध की जाँच डी.एस.पी. स्तर का पुलिस अधिकारी करेगा। जाँच हेतु डी.एस.पी. की नियुक्ति राज्य सरकार/डी.जी.पी. अथवा एस.पी. करेगा। नियुक्ति के समय पुलिस अधिकारी का अनुभव, योग्यता तथा न्याय के प्रति संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाएगा। जाँच अधिकारी (डी.एस.पी.) शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर घटना की जाँच कर तीस दिन के अंदर जाँच रिर्पोट एस.पी. को सौपेगा। इस रिर्पोट को एस.पी. तत्काल राज्य के डी.जी.पी. को अग्रसारित करेंगे।

धारा-11 (1)

इसमें यह प्रावधान किया गया है कि मामले की जाँच पड़ताल, ट्रायल (विचारण) एवं सुनवाई के समय पीड़ित व्यक्ति उसके गवाहों तथा परिवार के सदस्यों को जाँच स्थल अथवा न्यायालय जाने-आने का खर्च दिया जाएगा। (2) जिला मजिस्ट्रेट/ एस.डी.एम. या कार्यपालक दण्डाधिकारी अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति और उसके गवाहों के

लिए न्यायालय जाने अथवा जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए यातायात की व्यवस्था करेगा अथवा इसका लागत खर्च भुगतान करने की व्यवस्था करेगा।

धारा 12 (1)

इसमें कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट और एस.पी. अत्याचार के घटना स्थल की दौरा करेंगे तथा अत्याचार की घटना का पूर्ण ब्यौरा भी तैयार करेंगे। (3) एस.पी. घटना के मुआवजा करने के बाद पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे तथा आवश्यकतानुसार उस क्षेत्र में पुलिस बल की नियुक्ति करेंगे। (4) के अनुसार डी.एम./एस.डी.एम. पीड़ित व्यक्ति तथा उसके परिवार के लिए तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराएंगे साथ ही उचित मानवोचित सुविधा प्रदान कराएंगे।

1.4 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015:

परिचय

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 1989 में संशोधन के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम, 2015 को लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2015 तथा राज्य सभा द्वारा 21 दिसंबर, 2015 को पारित करने के बाद 31 दिसंबर, 2015 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 01 जनवरी, 2016 को इसे भारत के असाधारण गजट में अधिसूचित किया गया या लागू हुआ, जिसमें देखा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के सिर और मूंछ के बालों का मुंडन कराने और इसी तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के सम्मान के विरुद्ध किए गए कृत हैं। अत्याचारों में समुदाय के लोगों को जूते की माला पहनाना, उन्हें सिंचाई सुविधाओं तक जाने से रोकना या वन अधिकारों से वंचित करके रखना, मानव और पशु नरकंकाल को निपटाने और लाने ले जाने के लिए बाध्य करना, महिलाओं को देवदासी के रूप में समर्पित करना, जाति सूचक गाली देना, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना, चुनाव लड़ने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकना, अनुसूचित जाति और जनजातियों की महिलाओं को वस्त्र हरण कर आहत करना, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध यौन दुर्व्यवहार करना, यौन दुर्व्यवहार भाव से उन्हें

छूना और भाषा का उपयोग करना, आदि इस तरह के अपराधों का समावेश किया गया है तथा उसे विविध दण्ड व सजा का प्रावधान किया गया है।

26 जनवरी, 2016 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अत्याचार को रोकने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम, 2015 लागू होगा।। प्रधान क़ानून अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक 2015 को लोकसभा द्वारा 4 अगस्त, 2015 तथा राज्य सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 2015 को पारित करने के बाद 31 दिसम्बर,2015 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 01 जनवरी, 2016 को इसे के असाधारण गजट में अधिसूचित किया गया। नियम बनाए जाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी, 2016 से लागू किया गया।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए जाने वाले नए अपराधों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग के सर और मूंछ की बालों का मुंडन करने और इसी तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के सम्मान के विरुद्ध किये गए कृत हैं। अत्याचारों में दलित समुदाय के लोगों को जूते की माला पहनाना, उन्हें सिंचाई सुविधाओं तक जाने से रोकना या वन अधिकारों से वंचित रखना, मानव और पशु कंकाल को निपटाने और लाने ले जाने के लिए बाध्य करना, कब्र खोदने के लिए बाध्य करना, सर पर मैला ढोने की प्रथा का उपयोग और अनुमति देना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को देवदासी के रूप में समर्पित करना, जाति सूचक गाली देना, जादू-टोना अत्याचार को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना, चुनाव लड़ने में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकना, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की महिलाओं को वस्त्र हरण कर आहत करना, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के किसी भी सदस्य को घर, गाँव और आवास छोड़ने के लिए बाध्य करना, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पूजनीय वस्तुओं को विरूपित करना, अनुसूचित जातियों और

जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध यौन दुर्व्यवहार करना, यौन दुर्व्यवहार भाव से उन्हें छूना और भाषा का उपयोग करना है।

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य को आहत करने, उन्हें दुखद रूप से आहत करने, धमकाने और अपहरण करने जैसे अपराधों को, जिनमें 10 वर्ष के कम की सजा का प्रावध है, उन्हें त्याचार निवारण अधिनियम में अपराध के रूप में शामिल करना। अभी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर किए गए अत्याचार मामलों में 10 वर्ष उर उससे अधिक की सजा वाले अपराधों को ही अपराध माना जाता है।
- मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों में विशेष रूप से मुक़दमा चलने के लिए विशेष लोक अभियोजक को निर्दिष्ट करना।
- विशेष अदालतों को अपराध का प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करना और जहाँ तक संभव हो आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि से दो महीने के अंदर सुनवाई पूरी करना।
- पीड़ित तथा गवाहों के अधिकारों पर अतिरिक्त अध्याय शामिल करना आदि, रखेगी।

1.5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम, 2016

अत्याचार निवारण संशोधित अधिनियम, 2016 के प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- इस संशोधन में 60 दिनों में चार्जशीट फाइल करनी होगी।
- बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के अपराधों के लिए पहली बार राहत का प्रावधान किया गया है।
- यौन उत्पीड़न, महिलाओं के शील का अपमान करने के इरादे से इशारे या कृत्य, महिलाओं को छिपकर देखना अथवा पीछा करने जैसे गैर आक्रामक अपराध मामलों में मुआवजा प्राप्त करने के लिए मेडिकल जाँच की आवश्यकता नहीं होगी।
- गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को स्वीकार्य राहत राशि का प्रावधान ट्रायल के खत्म होने पर भले ही मामले में किसी को दोषी न दहराया।

- अपराध की प्रकृति के आधार पर राहत राशी को 75000—750000 रूपए से बढ़ाकर 85000—825000 रुपए के बीच कर दिया गया है, वहीं औद्योगिक श्रमिकों के लिए जनवरी 2016 के लिए इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया है।
- कैश अथवा किसी भी प्रकार की राहत को अत्याचार से पीड़ित, उसके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को सात दिनों के भीतर देय राहत का प्रावधान किया गया है।
- अत्याचार के विभिन्न अपराधों के लिए पीड़ितों को राहत राशि के भुगतान को तर्कसंगत बनाना है।

अब जातिगत भेदभाव के केस में फंसने वालों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। संशोधित एससी/एसटी एक्ट (Prevention of SC/ST Atrocities Act या POA) के तहत अब दलित और आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले में आरोपी को ही साबित करना होगा कि वो दोषी नहीं है। संशोधित एक्ट के मुताबिक, कोर्ट यह मानकर चलेगा कि आरोपी अगर पीड़ित या उसके घरवालों का परिचित है तो उसे पीड़ित की जाति के बारे में जानकारी थी, जब तक कि इसका उलट साबित न हो जाए। इससे पहले तक शिकायतकर्ता पर ही सबूत देने की जिम्मेदारी थी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य को आहत करने, उन्हें दुखद रूप से आहत करने, धमकाने और अपहरण करने जैसे अपराधों में अगर कोई अफसर दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं करता है तो उन अफसर पर भी कार्रवाई किया जाएगा। इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कोई गैर दलित या गैर आदिवासी पब्लिक सर्वेंट दलितों के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर अपनी जिम्मेदारियों का ठीक ढ़ंग से पालन नहीं करता तो उसे छह महीने से लेकर एक साल तक की जेल हो सकती है। नए कानून के तहत एससी और एसटी के खिलाफ मामलों के लिए अलग से कोर्ट बनाने का भी प्रावधान है। इन अदालतों को मामले पर खुद से संज्ञान लेने की आजादी होगी। चार्जशीट दाखिल करने के दो महीने के अंदर ये कोर्ट सुनवाई पूरी कर लेंगे।